International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 15-07-2020; Accepted: 30-07-2020; Published: 16-08-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 101-104

जनजातियों की सामाजिकः आर्थिक स्थिति पर नक्सलवाद का प्रभाव

हेमलता बोरकर वासनिक
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययन शाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुरं, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
भारत एक विशाल जनसंख्या बाहुल्य देश है। यहां पर विविध समुदाय के लोग निवास करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग जनजातियों का है ये जनजातियाँ सुदूर घने जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। छ.ग. राज्य भी एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। यहां लगभग 7.8 प्रतिशत जनजाति निवास करती हैं। यहां की अधिकांश जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बस्तर संभाग के कांकेर जिले के दुर्गकोंदल विकासखंड के अंदर निवास करने वाली जनजातियाँ सुदूर घने पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। बस्तर संभाग का यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में नक्सलवाद शब्द की उत्पति पश्चिम–बंगाल से हुई थी।1967 में चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था । मार्क्सवादी एवं लेलिनवादी विचारों से प्रभावित होकर चारू मजूमदार ने सामाजिक असमानता के विरोध में 1969 में कम्यूस्टि पार्टी का गठन किया था । कम्यूनिस्ट पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य जनजातियों को जमीदारों के शोषण से बचाना था तथा उनके सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखना था। प्रारंभ में छोटे– छोटे किसान एवं मजदूर अपनी गिरवी जमीन को छुड़वाने के लिए हथियारबंद नक्सलवादी विचारधारा को अपनाया करते थे। सन् 1972 में चारू मजूमदार की मृत्य के पश्चात् इसने हिंसा का रूप ले लिया। आज नक्सलवाद एक बड़ा संगठन बनकर उभर कर आया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद का उदय 2003 से माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग है। यहां अक्सर नक्सली वारदात होते रहते हैं और इसका सीधा प्रभाव जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के उदय होने का कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करना है क्योंकि इन कंपनियों के खुलने से संपूर्ण जनजाति समाज प्रभावित होने वाला था। नक्सलवादी संगठनों का उदय होने के पीछे अन्य कारण जनजातीय समुदाय के जीविकोपार्जन के साधनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आधिपत्य को हटाने के लिए नक्सलवादी संगठनों का उदय होना माना जाता है परंतु वर्तमान में नक्सलवादी संगठनों का दहशत इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों का जीना दूभर हो गया है।
प्रस्तुत शोध आलेख में जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर नक्सलवाद के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यह शोध आलेख प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार–अनुसूची उपकरण के माध्यम से किया गया है।

मूल शब्दः जनजाति, नक्सलवाद, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

प्रस्तावना
भारत एक विशाल देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। इनमें से 10.04 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है अर्थात् कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग जनजातियों का है। भारत की अधिकांश 89.97 प्रतिशत जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एवं केवल 10.3 प्रतिशत जनजातियाँ शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों का प्रतिशत 7.8 है।
छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जनजातियाँ बस्तर संभाग में निवास करती है। बस्तर संभाग के अंतर्गत कांकेर जिला के विकासखंड दुर्गकोंदल को भी शामिल किया गया है। दुर्गकोंदल विकासखंड एक जनजाति बाहुल्य विकासखंड है। ये जनजातियाँ घने सुदूर जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के बीच अपना जीवन यापन कर रही है। इन क्षेत्रों में लगभग 10 वर्षों से नक्सलवाद की घटनाएँ घटित होती जा रही हैं। इन क्षेत्रों के जनजातियों पर नक्सलवाद के प्रभाव को देखने के लिए यहां के जनजातीय समुदाय से तथ्यों का संकलन किया गया है। नक्सलवाद वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। नक्सलवाद की घटनाओं को सुनने पर लगता है कि इसने लाल आतंक को बढ़ावा दिया है, क्या सचमुच में नक्सलवाद ने जनजाति समुदाय को नुकसान पहुंचाया हैं? इस प्रश्न का उत्तर तभी मिल सकता है। जब यहाँ के समुदाय के लोगों से तथ्यों का संकलन किया जाए। प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य – जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर नक्सलवाद के प्रभाव को ज्ञात करना।
अध्ययन पद्धति – अध्ययन पद्धति को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है।
(अ.) अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय– छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले हैं। कांकेर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का 15वॉ जिला है पूर्व में यह बस्तर जिले के अंदर सम्मिलित था। वर्तमान में इसे एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया है। यह बस्तर संभाग का सबसे बड़ा शहर है। कांकेर जिला के अंतर्गत सात विकासखंडों को शामिल किया गया है। दुर्गकोंदल विकासखंड इनमें से एक है। अध्ययन क्षेत्र राउलवाही एवं पेंडावरी ग्राम पंचायत दुर्गकोंदल विकासखंड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राउलवाही की कुल जनसंख्या 1044 है इनमें 916 जनजाति परिवार है। पेंडावरी की कुल जनसंख्या 622 है तथा यहां जनजाति परिवार की संख्या 436 है।
(ब.) उत्तरदाताओं का चयन– प्रस्तुत अध्ययन हेतु राउलवाही से 40 तथा पेंडावरी से 20 अर्थात् कुल 60 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विदर्शन के द्वारा किया गया है।
(स.) तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक स्रोतों एवं अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार–अनुसूची उपकरण का

उपयोग किया गया है। अध्ययन की बारीकियों को समझने के लिए अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया गया है।

(द.) प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण– अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं प्रस्तुतीकरण करके जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर नक्सलवाद के प्रभाव को बतलाने का प्रयास किया गया। तथ्यों के तार्किक प्रस्तुतीकरण द्वारा प्रस्तुत करके वैज्ञानिकता की श्रेणी में लाने का प्रयास भी इस अध्ययन के माध्यम से किया गया है।

अध्ययनगत जनजातियों की सामाजिक स्थिति – सामान्यतः किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का आंकलन उसकी शिक्षा ,सामाजिक पद–प्रतिष्ठा एवं रहन –सहन के स्तर से लगाया जाता है।

तालिका – क्रमांक 1

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	निरक्षर	01	1.7
2	प्राथमिक	51	85.0
3	माध्यमिक	05	8.3
4	हाईस्कूल	02	3.3
5	स्नातक	01	1.7
	योग	60	100

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता संबंधी तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययनगत समूह के अधिकांश जनजातियों की शिक्षा प्राथमिक स्तर की है। 8.3 प्रतिशत जनजातियों की शिक्षा माध्यमिक स्तर की है। 3.3 प्रतिशत जनजातियों की शिक्षा हाईस्कूल स्तर की है तथा 1.7 प्रतिशत अर्थात् केवल एक उत्तरदाता ने स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है जबकि 1 उत्तरदाता निरक्षर है। अधिकांश जनजातियों की शिक्षा प्राथमिक स्तर की है मुद्दों पर जनजातियों से विचार–विमर्श करने पर इस कथन की पुष्टि हुई है कि उनके ग्रम में माध्यमिक एवं हाईस्कूल का अभाव है तथा जनजातियों का शिक्षा के प्रति रुझान भी बहुत कम है।

तालिका 2: उत्तरदाताओं का सामाजिक संगठन में सहभागिता का स्वरूप

क्र.	सहभागिता का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अध्यक्ष	02	3.3
2	सदस्य	06	10.0
3	आम जनता	52	86.7
	योग	60	100

तालिका क्रमांक 2 से इस बात की पुष्टि होती है कि जनजातियों का अपना एक सामाजिक संगठन है तथा सभी जनजातियाँ उस में अपनी सहभागिता देती है। अतः उनकी सहभागिता का स्वरूप क्या होता है, उसे जानने हेतु तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिकांश 88.7 प्रतिशत जनजातियाँ सामाजिक संगठन में आम जनता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, 10 प्रतिशत जनजातियाँ सदस्य के रूप में तथा 3.3 प्रतिशत जनजातियाँ अध्यक्ष के रूप में अपनी सामाजिक संगठन में सहभागिता दर्ज कराते हैं।

सामाजिक संगठन में किन मुद्दों पर जनजातियों की सहभागिता होती है के संबंध में उन्होंने बतलाया कि ग्रामीण जनजाति समुदाय के मुद्दों एवं पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए सामाजिक संगठन में उनकी सहभागिता होती है। सामाजिक संगठन के द्वारा सुझाए गए फैसलों को स्वीकार करने के संबंध में पूछे जाने पर इस तथ्य की पुष्टि हुई कि चूंकि कोई भी मुद्दा संपूर्ण जनजाति समुदाय के मध्य रखा जाता है तथा समुदाय के सभी व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य होती है इसलिए आपस में विचार–विमर्श करके फैसला सुनाया जाता है। इसलिए इसमें सभी की स्वीकृति होती है तथा इस फैसले को सबको स्वीकार करना पड़ता है।

जनजातियों का उनके पड़ोसियों से संबंध जानने पर ज्ञात हुआ कि उनका अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। वे आपस में एक भाई की तरह रहते हैं अतः वे एक–दूसरे के सुख–दुख को मिल बांटकर अपना अपना जीवनयापन करते हैं।

अध्ययनगत जनजातियों आर्थिक स्थिति – अध्ययनगत समूह के उत्तरदाताओं के आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उनके पास स्थित कृषि भूमि एवं उनके व्यवसाय तथा उनके द्वारा अजिर्त किए गए धन को दिखलाने का प्रयास किया गया है। इस तथ्य के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि वह कितने अधिक कर्मठ है तथा किस प्रकार में अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च बनाने के लिए संघर्षरत है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	हाँ		नहीं		कुल योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	60	100	–	–	60	100
2	वनोपज संग्रहण	60	100	–	–	60	100
3	पशुपालन	60	100	–	–	60	100
4	मजदूरी	03	5.0	57	95	60	100
5	मिस्त्री	03	5.0	57	95	60	100
6	बढ़ाई	01	1.7	59	98.3	60	100
7	शासकीय शिक्षक	01	1.7	59	98.3	60	100
8	किराना दुकान	01	1.7	59	98.3	60	100

जनजातियों के व्यवसाय से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययनगत क्षेत्र की शत–प्रतिशत जनजातियों का व्यवसाय कृषि, वनोपज एवं पशुपालन है। इसके अतिरिक्त ये जनजातियाँ मजदूरी का कार्य भी करती है। बढ़ाईगिरी, मिस्त्री एवं किराना दुकान के व्यवसाय के अतिरिक्त शिक्षकीय व्यवसाय में भी संलग्न है परंतु इनकी संख्या नहीं के बराबर या बहुत कम है।

अतः कहा जा सकता है कि जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय, कृषि, वनोपज संग्रहण एवं पशुपालन है।

तालिका 2: पशुपालन का स्वरूप

क्र.	पशुपालन का स्वरूप	हाँ		नहीं		कुल योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मुर्गी	60	100	निरंक	निरंक	60	100
2	बैल	04	6.6	56	93.3	60	100
3	सुअर	60	100	निरंक	निरंक	60	100
4	बत्तख	01	1.7	59	98.3	60	100
5	बकरी	40	66.7	20	33.3	60	100
6	भैंस	01	1.7	59	98.3	60	100
7	गाय	03	05	57	95	60	100

उपर्युक्त प्रदर्शित तालिका क्रमांक 2 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनजातियाँ प्रमुख रूप से मुर्गी एवं सुअर का पालन करती हैं। 66.7 प्रतिशत जनजातियाँ बकरी का 6.6 प्रतिशत जनजातियाँ बैल का तथा 5 प्रतिशत जनजातियाँ गाय का पालन करती हैं। वर्तमान में एक–दो जनजातिय परिवार भैंस एवं बत्तख पालने लगे हैं।

मुर्गी एवं सुअर पालने के संबंध में जनजातियों से तथ्य लेने पर ज्ञात हुआ कि चूंकि मुर्गी एवं सुअर पालने में इन्हें ज्यादा खर्च नहीं आता , इसके अलावा इनके रखरखाव में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, इनको यह कहना है कि इसके अलावा मुर्गी एवं सुअर एक साथ से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं जिसके कारण से मुर्गी एवं सुअर पालन करते हैं। मुर्गी को बेचने, मुर्गी के अंडे को बेचने एवं सुअर को बेचने से इन्हें अच्छी खासी आमदनी हासिल हो जाती है। यह भी इन्हें पालने के कारणों में सम्मिलित हैं।

गाय, भैंस, बैल एवं बकरी को कम पालने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि इनके रखरखाव एवं इनके भरण–पोषण में काफी खर्चा आता है इसलिए इनका पालन नहीं करते हैं। बैल का पालन ये कृषि कार्यों को ध्यान में रखकर करते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनजातियाँ अपने आप को लेकर अत्यधिक सजग है यही कारण है कि वे पशुपालन करते समय पशुओं का चयन सोच समझकर करती हैं।

तालिका 3: फसल का स्वरूप

क्र.	फसल का स्वरूप	हाँ		नहीं		कुल योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	धान	100	100	निरंक	निरंक	60	100
2	मक्का	100	100	निरंक	निरंक	60	100
3	कुलथी	100	100	निरंक	निरंक	60	100
4	ज्वार	03	5.0	57	95	60	100
5	सब्जी	100	100	निरंक	निरंक	60	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययनगत समूह की शत–प्रतिशत उत्तरदाता धान, कुलथी, मक्का एवं सब्जी का उत्पादन कार्य करती हैं केवल 5 प्रतिशत जनजातियाँ ऐसी है जो कुलथी, धान, मक्का, सब्जी के अलावा ज्वार का उत्पादन का कार्य करती है।

इस तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि अध्ययनगत क्षेत्र दुर्गकोंदल धान, कुलथी एवं मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र हैं यही कारण है कि यहॉ के शत् प्रतिशत जनजातियों के द्वारा धान, कुलथी एवं मक्का की खेती की जाती है, इसके अलावा इस क्षेत्र में ज्वार के उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। जनजाति उत्तरदाता से उनके फसलों को बेचे जाने संबंधी तथ्यों से ज्ञात हुआ कि चूंकि जनजाति क्षेत्र में स्थानीय मार्केट का अभाव है इसलिए इन्हें अनाज बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है तथा ग्राम से शहर के बीच की दूरी लगभग 10–20 किलोमीटर के मध्य हैं इसलिए इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यातायात की सुविधा संबंधी तथ्यों के संबंध में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि यहां यातायात के साधनों का अभाव है। नदी , नाला पड़ने के कारण बरसात में इन्हें आने–जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अध्ययनगत समूह के उत्तरदाताओं से कृषि कार्य हेतु सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के संबंध में पूछे जाने पर शत् प्रतिशत उत्तरदाताओं से जानकारी मिली कि यहां किसी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा नहीं है। ये पूर्णतः वर्षा पर आश्रित हैं।

अध्ययनगत जनजातिय समूह द्वारा साल में कितनी बार फसल उत्पादन का कार्य किया जाता है के संबंध में तथ्यों के संकलन से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा साल में एक बार फसल उत्पादन किया जाता है , शेष समय में ये शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा में मजदूरी का कार्य करते है।

तालिका 4: वनोपज संग्रहण का स्वरूप

क्र.	स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महुआ, लाख, ईमली, तेंदुपत्ता	38	63.3
2	महुआ, लाख, चरोटा, चाट, ईमली, टोरा	22	36.7
	योग	60	100

वनोपज संग्रहण का स्वरूप संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि लगभग तीन–चौथाई जनजातियाँ, महुआ, लाख, ईमली एवं तेंदुपत्ता का संग्रहण का कार्य करती है तथा एक–तिहाई जनजाति महुआ, लाख, चरोटा, चाट, ईमली, टोरा को संग्रहित करने का कार्य करती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अध्ययनगत क्षेत्र दुर्गकोंदल में महुआ, लाख, ईमली, तेंदु चरोटा, चाट एवं टोरा के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं । यही कारण है कि यहॉ के शत् प्रतिशत जनजातियों के द्वारा इनका संग्रहण किया जाता है ।

तालिका 4: कृषि भूमि (एकड़ में)

क्र.	भूमि (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
1	2 एकड़ तक	15	25.0
2	2–4 एकड़ तक	38	63.3
3	4–6 एकड़ तक	07	11.7
4	6 एकड़ से अधिक	दपस	दपस
	योग	60	100

तालिका क्रमांक 5 से स्पष्ट है कि 63,3 प्रतिशत जनजातिय परिवारों के पास 2 से 4 एकड़ तक की कृषि भूमि है। 15 प्रतिशत जनजाति परिवार के पास 2 एकड़ तक कृषि भूमि है तथा शेष 11.7 प्रतिशत जनजाति परिवारों के पास 4–6 एकड़ की कृषि भूमि है। किसी भी जनजाति परिवार के पास 6 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि नहीं है।

जनजातियों से कृषि, वनोपज एवं पशुपालन से अर्जित खाद्य पदार्थ को बेचने संबंधी तथ्यों से ज्ञात हुआ कि यह जनजातियाँ खाद्य उत्पादन को बेचने गांव से बाहर शहरों में जाते हैं क्योंकि गांव में किसी भी प्रकार के स्थानीय बाजार की व्यवस्था नहीं है। गांव से बाहर अनाज बेचने के लिए इन्हें 10–12 किलोमीटर जाना पड़ता है जिसके कारण इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

तालिका 5: जनजातियों की मासिक आय (रूपयो में)

क्र.	मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	5000 रू.	37	61.7
2	5000–10000 रू.	18	30.0
3	10000 से अधिक	05	8.3
	योग	60	100

जनजातियों की मासिक आय संबंधी विवरण से प्राप्त होता है कि अधिकतर 61.7 प्रतिशत जनजातियों की मासिक आय 5000 रू. तक है। लगभग एक–तिहाई उत्तरदाताओं की मासिक आय 5000–10000 रू. तक है तथा शेष 8.3 प्रतिशत मतदाताओं की मासिक आय 10000 रू से अधिक है।

अतः स्पष्ट की गांव के आधे से अधिक जनजातियों की मासिक आय 10000 रू. तक है , कुछ ही जनजातीय परिवार है, जिनकी मासिक आय 10000 रू. से अधिक है।

जनजातियों द्वारा स्वच्छंद रूप से अपने ग्राम में घूमने – फिरने तथा एक गांव से दूसरे गांव आने–जाने संबंधी प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि शत्–प्रतिशत जनजातियाँ स्वतंत्र रूप से गांव में घूम फिर लेती है । त्यौहार, उत्सव एवं सामाजिक बैठकों के स्वतंत्र रूप से आयोजन किये जाने के संबंध में भी शत्–प्रतिशत ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का भय महसूस नहीं होता है। कृषि ,पशुपालन एवं वनोंपज संग्रहण कार्य में किसी

प्रकार का नक्सली भय संबंधी प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि शत्–प्रतिशत जनजातियों को नक्सली भय महसूस नहीं होता है और न ही उन्हें कोई दबाव डालकर कार्य करवाया जाता है। अतः वे अपनी मर्जी के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर कार्यों का संपादन करते हैं।

इस प्रकार इस अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर पर नक्सलवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वे स्वतंत्र रूप से पूर्व की भांति अपने कार्य को करते आ रहे हैं।

सुझाव – जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उच्च करने हेतु निम्न सुझाव को अपनाया जा सकता है–

1. जनजाति समुदाय द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए उन्हें स्थानीय मार्केट उपलब्ध किया जाना चाहिए।
2. जनजाति समुदाय के लोगों में पायी जाने वाले उनके हुनर (कौशल) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. जनजातियों की शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए जनजाति क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए तथा स्कूलों में उन्हीं के क्षेत्र के व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्र का शिक्षक अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है तथा उन्हीं के स्थानीय बोली में शिक्षा पाठ्यक्रम को समझा सकता है।
4. जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
5. जनजातीय थानों में जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे यहां के नागरिक अपनी बातों को बेझिझक ढंग से थानों में रख सके।
6. जनजातीय उत्पादों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
7. जनजातियों का फसल बीमा किया जाना चाहिए।
8. नहरों का विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।
9. ट्यूबवेल और हैंडपंप की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. सड़क तथा यातायात के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, पी.के.(2010): नक्सज्मिल : काजेस एण्ड क्योर , मानस पब्लिकेशन , नईदिल्ली।
2. भारत की जनगणना (2011) : मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ,पब्लिकेशन्स डिवीजन , नई दिल्ली।
3. चौधरी, नीतू (2018) : जनजातीय क्षेत्र में नक्सलवाद का फैलता दायरा, श्रृंखला एक शोधपरक वैधानिक पत्रिका, अंक–6, पृ. 169–176.
4. दास , एस. (2011) : माओइस्ट एण्ड नक्सलाइट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, सुमित इण्टरप्राइजेस, नई दिल्ली।
5. गृह मंत्रालय भारत सरकार – नक्सल मैनेजमेण्ट डिवीजन 10।
6. जौहरी, जे. सी. (1972) : नक्सलाइड पोलिटिक्स इन इण्डिया, रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. मिनीस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स , (2015) : गवर्मेंट ऑफ इंडियॉ एनुएल रिर्पोट।
8. राय, रविन्द्र (2002) : नक्सलाइट एण्ड देयर आइडोलॉजी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आक्सफोर्ड।
9. राय, अवधेश नारायण (2018) ; भारत में नक्सलवाद का विकास, शोध प्रवाह, अंक 8 पृ. 340–344,
10. संजय कुमार (2011) : भारत में नक्सलवाद : पूर्वी उत्तरप्रदेश के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन , शोध प्रबंध, कुँमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखंड)।
11. सुनीता, नक्सलवाद : एक अध्ययन जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरी रिसर्च,
12. सिंह, प्रकाश (1995) : नक्सलाइट मूवमेंट इन इण्डिया, रूपा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
13. श्रीवास्तव, मनोज (2011) : नक्सलवाद, कारक, समस्या एवं समाधान, विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
14. सुनील (2010): "दंतेवाड़ा की जडे माओवाद हिंसा और आदिवासी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
15. विद्यार्थी, एल .पी.(1981):डव्लपमेंट एण्ड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कान्सेप्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।